न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) शिवगंज (सिरोही)

बइजलास श्रीमती शकुंतला चौधरी, R.A.S

वादी		प्रतिवादीगण
1.नरेन्द्रसिह पुत्र माधोसिह जाति राजपूत निवासी बापूनगर विस्तार, पाली 2.भरतसिह पुत्र प्रभातसिह जाति राजपूत निवासी गांधीनगर (गुजराज) 3.मदनसिह पुत्र जालमसिह जाति राजपूत निवासी सुमेरपुर जिला पाली	बनाम	1. ओबसिह पुत्र हीरसिह 2. छगनसिह पुत्र हीरसिह 3. छत्तरसिह पुत्र मंगलसिह 4 शैलेन्द्रसिह पुत्र अमरसिह 5.जसवन्तकुवर पुत्री अमरसिह 6.कंकरकुंवर पत्नि अमरसिह **7.ओटसिह पुत्र भूरसिह के कायम मुकाम** 7/1 भंवरसिह पुत्र स्व. ओटसिह 7/2 महेन्द्रसिह पुत्र स्व. ओटसिह 7/3 रेखा कुवर पुत्री स्व. ओटसिह जातियान राजपूत निवासीगण उथमण तह. शिवगंज। 8.तहसीलदार (भूमिधारी) शिवगंज।
विद्वान अधिवक्ता श्री दिनेश जोशी		**विद्वान अधिवक्ता श्री श्रवण कुमार परिहार**

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 19/2017

–:निर्णयः– दिनाक 28.08.2024

इस न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री कमांक 36 दिनांक 25.10.2021 की अनुपालना में तहसीलदार शिवगंज ने जरिये पंत्राक/कोर्ट/2023/07 दिनाक 13.02.2023 से वादग्रस्त भूमि मौजा उथमण तह0 शिवगंज के खसरा नम्बर 659, 672, 673, 675, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 708, 709, 783 कुल किता 15 कुल रकबा 18.0975 हैक्टयर अर्थात 111.16 वीघा भूमि का विभाजन कर बंटवाडा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा पेश किया जिसका वादी अधिवक्ता को अवलोकन करवाया गया जिसमें वादी द्वारा सहमति प्रदान की गई। प्रस्तुत बंटवाड प्रस्ताव पर प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा भी कोई आपत्ति पेश नहीं की गई।

अतः उल्लेखित व विवेचित तथ्यो के परिणाम स्वरूप वादीगण का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण को कतिपय प्रावधानों तथा मौके व रेकर्ड अनुसार वादग्रस्त भूमि का वाद पक्षकारों के हक हिस्सा के आधार पर बंटवाड प्रस्ताव तथा नजरी नक्शा तैयार कर पेश किया जो वाद पक्षकारों का हक हिस्सा अनुसार होने से स्वीकार कर अनुमोदित किया जाता है। डिक्री किया जाता है। तहसीलदार शिवगंज को संलग्न बंटवाड प्रस्ताव व नजरी नक्शा के अनुसार राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद करने का आदेश दिया जाता है। **तहसीलदार शिवगंज द्वारा पेश बंटवाड प्रस्ताव तथा नजरी नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग माना जायेगा।** पक्षकारान खर्चा अपना अपना वहन करेगे। मार्फिक निर्णय डिक्री पर्चा मुर्तिब हो। निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

आज दिनाक 28.08.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

(शकुंतला चौधरी)
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
शिवगंज
दिनांक 28.08.2024

कमांक/कोर्ट/2024/ 503
प्रतिलिपि पालनार्थः–
तहसीलदार, शिवगंज।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2024.09.09 15:34:16 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
शिवगंज